

**कार्गिल  
परिषद, प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रारंभिक/परिषद/सम्बद्धा/2020/5170

दिनांक: दिनांक 14-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

प्रारंभिक माध्यमिक स्तर की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्गिली अनुसूचित क्षेत्र विकास, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विदेशी/अन्य कार्गिली शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचित प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धा/सम्बद्धा शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अन्तर्गत में अधिकांश कार्गिली में बैठक आयोजन हुई। बैठक में अधिकांश द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुसूचित नई संस्थाओं को सम्बद्धा/पूर्व से अनुसूचित संस्थाओं को सम्बद्धा शिक्षा/सहायता/प्रदान प्रदान मुक्ति अधिकांश प्रदान नहीं कर दिया करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धा प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया गया।

बैठक को अनुसूचित से सम्बद्धा समिति की बैठक के 84-2 में विदेशी/अन्य कार्गिली अनुसूचित संस्थाओं को सम्बद्धा नई संस्था का प्रचलन रखा गया। सम्बद्धा समिति द्वारा उत्तर शिक्षा-विश्व का निर्णय निर्णय किया गया -

“सत्र 2020-21 हेतु अनुसूचित होने वाली विदेशी/अन्य कार्गिली संस्थाएं जिन्हें पीठरी/आई/आई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुसूचित प्रदान किया गया है। जो सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धा प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्णय पीठरी/आई/आई अनुसूचित पर जो अन्तर्गत पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धा प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि प्रचलन संस्थाओं का स्थानीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीठरी/आई/आई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धा बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।”

उक्त विधानुसार अधिकांश संस्था को परिषद की सम्बद्धा समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्णयित नहीं के अन्तर्गत अनुसूचित एवं कार्गिली अधिकांश प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धा प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	सहायता का नाम	पीठरी/आई/आई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रदान प्रदान	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रदान प्रदान
1	नई पाल इन्स्टीट्यूट कार्गिली, पीठरी-पीठरी, उत्तर प्रदेश, मथुरा, 202-1000 लखनऊ	विदेशी/अन्य कार्गिली	60	60

**सम्बद्धा हेतु नहीं**

- ✓ संस्था राजा/पीठरी/आई/आई, पीठरी/आई/आई द्वारा निर्णयित की नहीं करती पर पूर्ण प्रदान करती।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तथा अधिकांश शिक्षा परिषद विदेशी/अन्य कार्गिली 1982, संस्थाएं विदेशी/अन्य कार्गिली-2018 तथा अन्य अधिकांश विदेशी एवं कार्गिली का अनुसूचित करने की सत्र हेतु निर्णयित समिति द्वारा निर्णयित सूचना प्राप्त नहीं करती इन्हीं अनुसूचित हेतु रु. 22,00,00/- प्रदान की वहीं कार्गिली अनुसूचित हेतु रु. 4,00,00/- प्रदान एवं एक लाख की वहीं



**कार्यालय****राजि. प्राविधिक शिक्षा परिषद,****इतर प्रदेश सरकार।**

संख्या:- प्राविध/परीषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

**कार्यालय आय:-**

अधिस भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली चरमोरी काउन्सिलर अंक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, इतर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अधिदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे गृहे निर्णय के अनुक्रम में विद्यमान संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिदित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4173-SURYA PAL INSTITUTE OF PHARMACY MAUJA- CHAURAH,  
PARGANA- MANIKPUR, TEHSIL- KUNDA, DIST- PRATAPGARH, UP**

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आइ०सी०टी०ई०/सी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०ई०/सी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, सेमेस्टर विनियमकारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनू पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक चरमोरी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक चरमोरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक उपभ/उपभ से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपभ/उपभओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदलेष प्रत्यकी होमें, और तदुत्तर कार्यवाही



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SURYA PAL INSTITUTE OF PHARMACY MAUJA- CHAURAH, PARGANA-  
MANIKPUR, TEHSIL- KUNDA, DIST- PRATAPGARH, UP



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गम महीनाराम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा ऑफिशियल शिफ्ट के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध करने के साथ रेगिस्टर टोकन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, कर्मीघर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश ऑफिशियल शिफ्ट (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता) विनियमनवली, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की आज्ञा पर अपने कर्मचारियों, अग्रणी और कर्मीघर को परिषद को शिफ्ट के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के अधिकांश वित्तीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवकाश, छात्रवास, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आर०सी०टी०ए०पी०सी०आर०ए० परिषद के अनुरोधानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता जारी का अनुपालन न किये जाने अथवा एसी का उल्लंघन किये जाने की शिकायत में निचलाअनुसार अनुसूचितसमयक कार्यवाही की जावेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पु०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

पतिनिधि:-

प्रधानाध्यापक/निदेशक, SURYA PAL INSTITUTE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव